



प्राप्ति - 26
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH नियम ५ क दे खिए।

23AA 138603

इलाहाबाद-झाँसी छाड़ स्नातक निवासिन देश से उत्तर प्रदेश किंगन परिषद के लिए निवासिन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समर्थ अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

भाग-क

मैं राजेश कुमार त्रिपाठी पुत्र सालिकराम त्रिपाठी आयु 35 वर्ष, जो 39-बी, बेली रोड नया कट्टा, इलाहाबाद का निवासी हैं और उपरोक्त निवासिन से अधिकारी हैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिक्षा करता हैं, शपथ पर निम्ननिश्चित कथन करता है :-

- 1- मैं स्वतंत्र अधिकारी हूँ** के रूप में लड़ रहा हूँ।
- 2- मेरा नाम इलाहाबाद उत्तरी ३०४० निवासिन देश और राज्य का नाम में भाग सं०-१२१ के क्रम सं०-६०३ पर प्रविष्ट है।
- 3- मेरा सम्पर्क फ़ोन नंबर- ८४२३८५७५१० है और मेरा हैमेल ईमेल आईडी०

Serial No...1270 Date...3.3.14
Certified that the foregoing statement

sworn before me this day at..... by Shri/Smt/Kum. Rajesh Kumar Tripathi
to whom the contents of this affidavit have been read over and explained. अधिकारी इसमें से सब सच व सही है। यह तस्दीक आज दिनांक 03-3-2014 को जातीय इलम से कहारो झाँसी की गई।

Received the legal fee Rs 4/-

ABHAY RAMAN SAXENA
ADVOCATE
NOTARY JHANSI, JHANSI
3.3.2014

Rajesh Kumar Tripathi
शपथकर्ता

शपथपत्र का शेष भाग संलग्न है

तस्दीक
03/03/14

प्ररूप-26
(नियम 4क देखिए)

इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
शपथ-पत्र



भाग - क
मैं राजेश कुमार त्रिपाठी **पुत्र/पुत्री/प्रस्त्री सात्करन त्रिपाठी आयु 35 वर्ष 2000
39 कमी वेली नं ८५ ब्लॉक बाटा (ड्राक का पूरा पता लिखें) का / की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी
हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

(i) मैं एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में आमतौर पर *साजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया
गया अभ्यर्थी

**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जा लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम इलाहाबाद उत्तरी उच्च प्रदूःख (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 12... के
क्रम सं 603 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं ८४२३८५७५१० है / है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)
लागू नहीं है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथिति

क्रम सं	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1	स्वयं राजेश कुमार त्रिपाठी	AQXPT8270G	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2	पति या पत्नी	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3	आश्रित-1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4	आश्रित-2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5	आश्रित-3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की
अमियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

Rajesh Kumar Tripathi




प्रबुष्ण
३१/०२/१४

★ (रेकार्ड रिभार)

प्ररूप-26
(नियम 4क देखिए)

इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र



भाग - क
मैं राजेश कुमार त्रिपाठी **पुत्र/पुत्री/पत्री सात्यनाथ त्रिपाठी आयु ३५ (वर्ष २०१४) ३७ वर्षीय वर्ती नाम राजेश कुमार त्रिपाठी (डाक का परा पता लिखे) का / की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ करती हूँ :-

(1) मैं सरकारी भाष्यकारी के रूप में लड़ रहा हूँ। (**सरकारी भाष्यकारी के रूप में लड़ रहा हूँ)

गया अभ्यर्थी

**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जा लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम इलाहाबाद रिटर्निंग व्होर्स (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं012 के क्रम सं603 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं8423857510 है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) लागू नहीं है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारंधिति

क्रम सं	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1	स्वयं <u>राजेश कुमार त्रिपाठी</u>	AQXPT8270G	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2	पति या पत्नी	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3	आश्रित-1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4	आश्रित-2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5	आश्रित-3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

Rajesh Kumar Tripathi



उपराधी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत
 (ग) / करेगी:-
 (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी
 अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं होता
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवरण की गई	लागू नहीं होता
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गये थे	लागू नहीं होता
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं होता



(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। पूर्वकत मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	पूर्वकत आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं होता

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43)) की धारा 8 की उपधारा

(1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सुन्दरोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

Rajeev Kumar Tripathi



अभियुक्ती ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत
 (रगा/करणी) :-
 (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दड़नीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं होता
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं होता
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गये थे	लागू नहीं होता
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं होता


(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न : -

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं होता

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43)) की धारा 8 की उपधारा

(1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धांश ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

Rajesh Kumar Tripathi



निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्राप्तिक्रिया	लागू नहीं होता

(7) मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-
अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।


टिप्पण 4- यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे, प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	80,000	5000/	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iii)	कम्पनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



तुल्यता
३०/०३/१४



मेसाली उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा। निम्नलिखित मामलों में सुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारूपिति	लागू नहीं होता

(7) मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-
अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।


टिप्पण 4— यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5— रकम सहित ब्यौरे, प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	80,000	5000/	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iii)	कम्पनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेचरों/शेयरों जथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



तुल्यकरण
प्र० १०२/१४



(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के बौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अधिग्रहण और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के बौरे)	लागू नहीं दोटा	लेले की सोने की लंबी 30,000/-	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा
(ix)	समग्र कुल मूल्य	80,000	35,000	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा

ख. स्थावर आस्तियों के बौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा
	क्षेत्र (एक में कुल माप)	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा



तुलसी
१४/०३/१४

* रेकार्ड रिमार्क्स

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के बौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें कर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा
(vi)	मोटररान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के बौरे)	लागू-बैंड दोरा	गोले की सोने की जंजीर 30,000/-	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड देसा
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड देसा
(ix)	समग्र कुल मूल्य	80,000	35,000	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा

ख. स्थावर आस्तियों के बौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।


क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवरिथति (अवरिथितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा
	क्षेत्र (एक में कुल माप)	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा	लागू-बैंड दोरा



तुल्यवाच
दोरा

* (रेकार्ड गिरजा) गुरुवार 10 अप्रैल 2014
रेकार्ड गिरजा

(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता





d:\mlc election 2014\mlc election-2014.doc, 33

Rajesh Kumar Tripathi



३०३/१४






(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवरिथि (अवरिथियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	लागू नहीं दोटा				
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं दोटा				
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं दोटा				
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं दोटा				
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं दोटा				
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं दोटा				
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं दोटा				
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं दोटा				
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं दोटा				
(vi)	पूर्वांक (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं दोटा				

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बौरे नीचे देता हूँ :-
 (टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के बौरों का पृथक विवरण दें)

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्यबैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा
	पूर्वांक वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा
	दायित्वों का कुल योग	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा	लागू नहीं दोटा



तुलसी विधानसभा
मुक्ति 102/14


(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवरिधितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा
	स्वर्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बौरे नीचे देता हूँ :-
(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के बौरों का पृथक विवरण दें)


क्र0 सं0	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्यबैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा
	कोई अन्य दायित्व	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा
	दायित्वों का कुल योग	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा	जागूनदी दोटा

Rajesh Kumar Tripathi

जागूनदी
दोटा




सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	लागू-नहीं दोता				
जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू-नहीं दोता				
विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू-नहीं दोता				
टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू-नहीं दोता				
सरकारी परिवहन (वायुयान और हैलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू-नहीं दोता				
आय-कर शोध्य	लागू-नहीं दोता				
धनकर शोध्य	लागू-नहीं दोता				
सेवाकर शोध्य	लागू-नहीं दोता				
नगर पालिका / संपत्ति कर शोध्य	लागू-नहीं दोता				
विक्रयकर शोध्य	लागू-नहीं दोता				
कोई अन्य शोध्य	लागू-नहीं दोता				
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लागू-नहीं दोता				
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू-नहीं दोता				




d:\mlc election 2014\mlc election-2014.doc_35

Rajesh Kumar Tripathi


तुल्यवर ७
१५/०२/१४



	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	लागू नहीं दोता				
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं दोता				
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं दोता				
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं दोता				
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हैलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं दोता				
	आय-कर शोध्य	लागू नहीं दोता				
	धनकर शोध्य	लागू नहीं दोता				
	सेवाकर शोध्य	लागू नहीं दोता				
	नगर पालिका / संपत्ति कर शोध्य	लागू नहीं दोता				
	विक्रयकर शोध्य	लागू नहीं दोता				
	कोई अन्य शोध्य	लागू नहीं दोता				
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लागू नहीं दोता				
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं दोता				



Rajesh Kumar Tripathi



मेरी उपजीविका के ब्यौरे :

- (क) स्वयं ✓ ग्रिधि लघुसामग्री
 (ख) पति या पत्नी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है : - छात्र कूल - शोरवानी इन्डस्ट्रीज़ प्रोफेशनल कॉलेज, 1991
 ठारी कूल - कॉलेज इलाहाबाद - 1995
 विधि स्कूल - ई.वि.सि. इलाहाबाद - 2004


(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रस्तुत करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय
 शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया
 गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमार राजेश कुमार त्रिपाठी
2.	डाक का पूरा पता	39 बी, बेली रोड नया कट्टरा, इलाहाबाद 262, इलाहाबाद उत्तर, उत्तर प्रदेश
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	
4.	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	सर्वतंत्र
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं होता
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लागू नहीं होता
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक, प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	लागू नहीं होता

Rajesh Kumar Tripathi



तुल्यवर्ण
22/2/2014

त का उपजीविका के बौरे :

- (क) स्वयं ✓ विधि अवसाय
(ख) पति या पत्नी

(10) मेरी शैक्षिक अहता नीचे दिए अनुसार है :-
इ०२२ मीडिस्ट - क० न० इ०२२ कलेज इलाहाबाद - १९९५
स्नातक - इ० वि. वि. इ० इलाहाबाद - २००४



(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय
शिक्षा के बौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया
गया था, का बौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए बौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कु ० राजेश कुमार त्रिपाठी
2.	डाक का पूरा पता	३९ बी, बेली रोड नया कट्टर, इलाहाबाद २००२
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	२६२, इलाहाबाद उत्तर, उत्तर प्रदेश
4.	उस राजनीतिक दल का नाम जिसमें अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	स्वतंत्र
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन्न)	भाग नहीं होता
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक, प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	भाग नहीं होता

Rajesh Kumar Tripathi



		पैन का स्थायी लेखा सं	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
(क) अम्यथी	A0XPT8270G	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
(ग) आश्रित	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
8.	आस्तियां और दायित्वों के ब्यौरे (रूपरेखा में)			
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1
ख	स्थावर आस्तियां	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
I	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
III की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
9	दायित्व	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से क्रेड़िट (कुल)	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा

		पैन का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
(क) अभ्यर्थी	AQXPT82706	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
(ग) आश्रित	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)			
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
ख	स्थावर आस्तियां	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
I	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
II	क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
 की	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
III	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
9	दायित्व	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से क्रण (कुल)	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा	लागू नहीं दोरा

तृष्णा विधानसभा

★ रेकार्ड विभाग ★

10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
11	उच्चतम शैक्षिक अहंता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करता हुए) उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।	विद्यि सनातन इंडिया, विविह उल्लेख बुरा - २०११	पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करता हुए	विद्यि सनातन इंडिया, विविह उल्लेख बुरा - २०११	विद्यि सनातन इंडिया, विविह उल्लेख बुरा - २०११	विद्यि सनातन इंडिया, विविह उल्लेख बुरा - २०११

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वरतु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषण करता हूं कि :-
(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है ;
Abhay Raman
Saxena Ad
H.O.-JHANSI (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,
47/24/2000 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 03.03.2014

को सत्यापित किया गया ।

Rajesh Kumar Tripathi

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नौटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3 सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का आ 859, तारीख 15 अप्रैल 1961 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और उनमें अन्तिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया —

- (1) संख्यांक का आ 728 (अ) तारीख 8 मई, 2007 ।
- (2) संख्यांक का आ 425 (अ) तारीख 23 फरवरी, 2011 ।



तालुकार अधिकारी
मंगल 14/14

10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i) सरकारी शेष्य (कुल)	बागू नहीं होता				
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से क्रेन (कुल)	बागू नहीं होता				
11	उच्चतम शैक्षिक अहता : <i>विधि सनातन मूँदू कि. वि. बृहत्पाद्यावृत् - २०११</i> (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लिखित करता हुए) उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्योरा दें।)					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषण करता हूं कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है ;

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 03.03.2014

को सत्यापित किया गया ।

Rajesh Kumar Tripathi

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नौटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3 सभी स्तरों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का आ 859, तारीख 15 अप्रैल 1961 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और उनमें अन्तिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया -

- (1) संख्यांक का आ 728 (अ) तारीख 8 मई, 2007 ।
- (2) संख्यांक का आ 425 (अ) तारीख 23 फरवरी, 2011 ।



तृष्णवर विधि संगठन
३०/०३/१४